प्रपत्र–4

(देखे विनियम 6 का उपबन्ध 1 (ग) 2 (क) एवं 3(क))

राज्य सरकार की ओर से अनापत्ति प्रमाण–पत्र

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2

संख्या–1298 / 71–2–2010–90 / 2001

लखनऊ : दिनांक 29 अप्रैल, 2010

सेवा में,

वैद्य गोपाल दत्त शर्मा,
प्रबन्धक, वैद्य यज्ञदत्त शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय,
खुर्जा, बुलन्दशहर।

विषय : वैद्य यज्ञदत्त शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय, खुर्जा, बुलन्दशहर को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन0ओ0सी0)।

संदर्भः प्रबन्धक, वैद्य यज्ञदत्त शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय, खुर्जा, बुलन्दशहर के पत्र संख्या–वी0वाई0डी0एस0ए0एम0 / 09–10 / 465, दिनांक 9.2.2010

महोदय,

निम्न तथ्यों के सम्बन्ध में वांछित ''अनापत्ति प्रमाण पत्र'' जारी किया जा रहा हैः–

1. राज्य में विद्यमान चिकित्सा और आयुर्वेद संस्थानों की संख्या–08 राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, निजी क्षेत्र में 07 आयुर्वेदिक कालेज।
2. उपलब्ध सीटों की संख्या अथवा प्रतिवर्ष उत्पन्न चिकित्सा आयुर्वेद चिकित्साभ्यासियों की संख्या–600 (स्नातक स्तर)
3. राज्य परिषद / भारतीय चिकित्सा परिषद बोर्ड में पंजीकृत आयुर्वेद चिकित्साभ्यासियों की संख्या–53956,
4. राज्य सरकार में सेवारत आयुर्वेद चिकित्साभ्यासियों की संख्या–3731
5. राज्य विशेष रूप ग्रामीण / कठिन क्षेत्रों में आयुर्वेद चिकित्सकों के रिक्त सरकारी पदों की संख्या–527
6. राज्य रोजगार कार्यालय में पंजीकृत आयुर्वेद चिकित्सकों की संख्या–सामान्यतः राज्य के रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक चिकित्सक रोजगार कार्यालय में पंजीकरण नहीं कराते हैं।
7. राज्य में आयुर्वेद चिकित्सकों एवं–जनसंख्या का अनुपात–1 : 3081
8. चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने पर राज्य में योग्यता प्राप्त चिकित्सकों की जन शक्ति की कमी की समस्या किस प्रकार से हल होगी तथा राज्य में चिकित्सा कर्मियों उपलब्धता में किस प्रकार से सुधार आयेगा–आयुर्वेदिक महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने उद्देश्य योग्य चिकित्सक बनाना है तथा प्रशिक्षणोंपरान्त व्याधियों (रोगों) को दूर कर मानव शक्ति को सुदृढ़ करना है।

...2 / –

9. छात्र जो राज्य के मूल निवासी नहीं है, पर राज्य सरकार द्वारा राज्य में प्रवेश प[illegible] की प्रतिबद्धता अधिरोपित, यदि कोई है, का उल्लेख करें–राजकीय आयुर्वेदिक काले[illegible]ों में स्नातक स्तर पर प्रवेश सी0पी0एम0टी0 से चयनोंपरान्त महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण से होता है।
10. चिकित्सा महाविद्यालय में उच्चतर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए पूर्ण औचित्य–योग्य चिकित्सक तैयार करना।
11. प्राप्य आयुर्वेद चिकित्सक जनसंख्या अनुपात–निर्धारित नहीं।

वैद्य गोपालदत्त शर्मा ने वैद्य यज्ञदत्त शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय, खुर्जा, बुलन्दशहर में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए आवेदन किया है। प्रस्ताव पर ध्यान पूर्वक विचार करने के पश्चात उ0प्र0 सरकार ने आवेदक को काय चिकित्सा में 05, कौमार भृत्य में 05, प्रसूति तंत्र व स्त्रीरोग में 04 एवं शालाक्य में 02 सीटों पर परास्नातक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है–

यह प्रमाणित किया जाता है कि

(क) आवेदक के पास 200 शैय्याओं वाला अस्पताल है।
(ख) आयुर्वेद महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना जनहित की वांछनीय है।
(ग) पं0 प्यारे लाल रमादत्त वैद्य चैरेटिबल सोसाइटी द्वारा वैद्य यज्ञदत्त शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय, खुर्जा, बुलन्दशहर में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना उचित है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित महाविद्यालय में भारतीय चिकित्सा परिषद के मानदण्डों के अनुसार पर्याप्त नैदानिक सामग्री है।

भवदीय,

(कुमार अरविन्द सिंह देव)
प्रमुख सचिव,
चिकित्सा शिक्षा विभाग।

संख्या–1288 (1)/71–2–2010–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, सी0सी0आई0एम0, जनकपुरी, नई दिल्ली।
2– सचिव, आयुष विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3– महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
4– कुल सचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
5– निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जावेद एहतेशाम)
उप सचिव।